भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †222

सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान

†222. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन क्षेत्र के योगदान के वर्तमान प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त अंशदान में वृद्धि हुई है अथवा स्थिर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): तीसरे पर्यटन सेटेलाइट एकॉउन्ट (टीएसए), 2015-16 के अनुसार, 2018-19 से 2022-23 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत निम्नानुसार है:

पर्यटन जीडीपी	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
जीडीपी में कुल हिस्सा (प्रतिशत में)	5.01	5.18	1.50	1.75	5.00
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.61	2.69	0.78	0.91	2.60
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.40	2.49	0.72	0.84	2.40

उपर्युक्त अनुमान राष्ट्रीय अकाउंट सांख्यिकी 2024 का उपयोग करके अद्यतन किए गए हैं।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विगत वर्षों में कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

i. पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय

एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन से संबंधित अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है।

iii. आतिथ्य सहित घरेलू सवंर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/महोत्सवों तथा पर्यटन संबंधी समारोहों के आयोजन के लिए भी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी गई है।

iv. नागरिकों को अपने देश की यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल की शुरूआत की गई।

v. अन्य निश उत्पादों में निरोगता पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ईको पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का व्यापक रूप से संवर्धन किया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे का विस्तार किया जा सके।

vi. विदेशी पर्यटकों सहित देश में विदेशियों के वैध आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने वैध विदेशी यात्रियों की सहायता करने के लिए वीजा व्यवस्था को उदार, सुव्यवस्थित और सरल बनाने हेतु पिछले कुछ वर्षों में कई पहलें की हैं। 167 देशों के नागरिकों के लिए 07 उप-श्रेणियों अर्थात ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-आयुष अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा के तहत ई-वीजा की सुविधा प्रदान की गई है। वीजा शुल्क में भी उल्लेखनीय कटौती की गई है।

vii. प्रमुख पर्यटक गंतव्यों तक हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी आरसीएस-उड़ान योजना में सहयोग किया है। अब तक 53 पर्यटन मार्गों का प्रचालन शुरू हो गया है।

viii. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम नामक एक डिजिटल पहल चला रहा है जिसका लक्ष्य देशभर में सुप्रशिक्षित एवं पेशेवर व्यावसायिक पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक समूह तैयार करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म बनाना है।

ix. बेहतर मानक सेवा मुहैया कराने के लिए श्रम-शक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना' (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रमों का आयोजन।

x. पर्यटन मंत्रालय ने 'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल भी शुरू की। इस पहल में उन सभी व्यक्तियों को पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण देना और जागरूक करना शामिल है जो गंतव्य पर पर्यटकों के संपर्क में आते हैं या उनसे बातचीत करते हैं।

*****